लेखा · योग

१९९९-२००० में विअविअ धन का अन्तः प्रवाह

अङ्क ९३ जुलाई-०३, (मई- ०४ में प्रकाशित)

इस अङ्क में

कुल प्राप्तियाँ	१	२५ शीर्ष दान ग्रहीता संस्थाएँ	३
अभिदाय के स्रोत	१	राज्यवार प्राप्तियाँ	३
प्राप्ति के उद्देश्य	२	१ करोड़ से अधिक	४
२५ शीर्ष दातव्य संस्थाएँ	२	जनजातीय प्रधान क्षेत्रों को क्या मिलता है?	४

लेखा · योग ९२ में, वर्ष १९९८-९९ में प्राप्त विदेशी अभिदाय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अब हम उसी तरह का विश्लेषण वर्ष १९९९-२००० के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

कुल प्राप्तियाँ

वर्ष १९९९-२००० में १३,९८६ संस्थाओं ने विअ[१]- ३ विवरण प्रेषित किया। उन्होंने कुल ३,९२४ . ६३ करोड़ रुपयों की प्राप्ति का विवरण दिया। वर्ष ९८-९९ में यह आँकड़ा ३,४०२ . ९ करोड़ था।

पिछले आठ वर्षों (१९९२-९३ से १९९९-२००० तक) में अभिदाय की वार्षिक बढ़ोतरी १३ . ८ प्रतिशत की दर से हुई। औसत अभिदाय की प्राप्ति प्रति संस्था ९२-९३ में १५ .५३ लाख से बढ़ कर १९९९-२००० में २८. ०६ लाख तक हो गई है।

अभिदाय के स्रोत

यह अभिदाय कहाँ से आता है? इस वर्ष प्रतिवेदन सूची में १४० देशों के नाम हैं जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका (१,०८६ . ३२ करोड़ रुपये) से ले कर सूडान (१,००० रुपये!) तक सम्मिलित हैं। साथ ही इस सूची में एक श्रेणी 'अन्य दाता' है - इनका अंशदान कुल २८. ९९ करोड़ रुपये है।

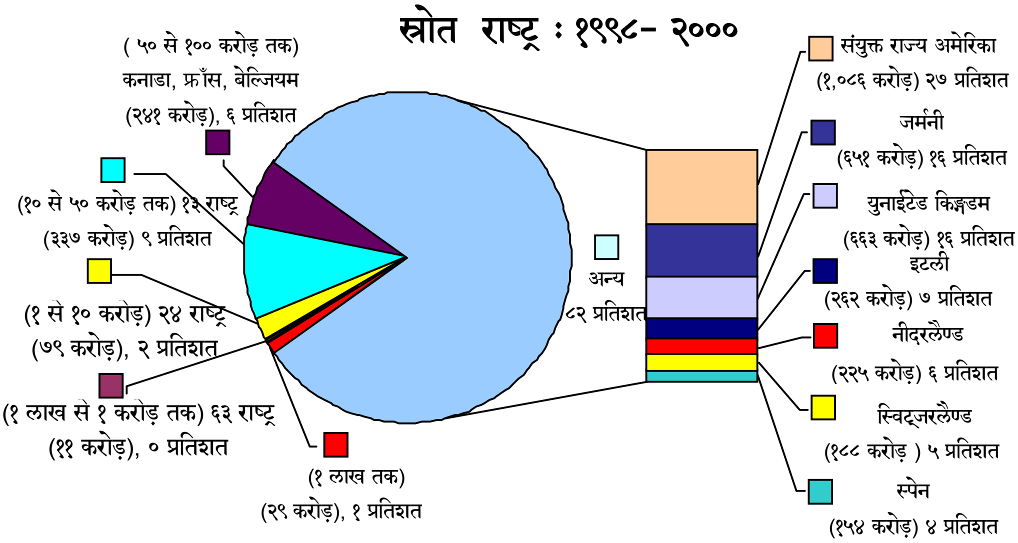

बड़े वृत के साथ दी गई पट्टी में दिखाया गया है कि सात उत्तरी देशों ने कुल प्राप्त अभिदाय का ८२ प्रतिशत धन भेजा है जो कि लगभग ३,२२९ करोड़ रुपये है।

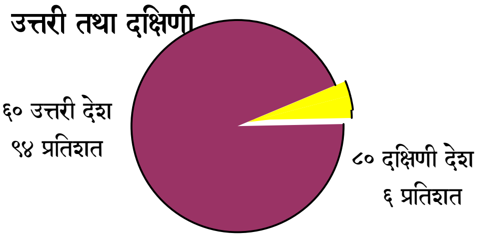

[१] विदेशी अभिदाय

छोटा वृत एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ९४ प्रतिशत अभिदाय उत्तरी क्षेत्र से आता है। दक्षिणी क्षेत्र से कुल अभिदाय[२] का केवल ६ प्रतिशत ही आता है।

प्राप्ति के उद्देश्य

उद्देश्यों का विश्लेषण सम्भवतः इतना विश्वसनीय न हो, क्योंकि अधिकतर जनसेवी संस्थाएँ अपने व्ययों का सटीक वर्गीकरण नहीं कर पाती हैं।

वृत में दिखाई देता है कि कुल अभिदाय में विभिन्न विषयों का प्रतिशत भाग लगभग पिछले वर्ष जैसा ही है। केवल राहत में ४ प्रतिशत की बढ़त हुई है।

१९९९-२००० में उद्देश्यों के अनुसार प्राप्ति

३,९२४ . ६३ करोड़ रुपये

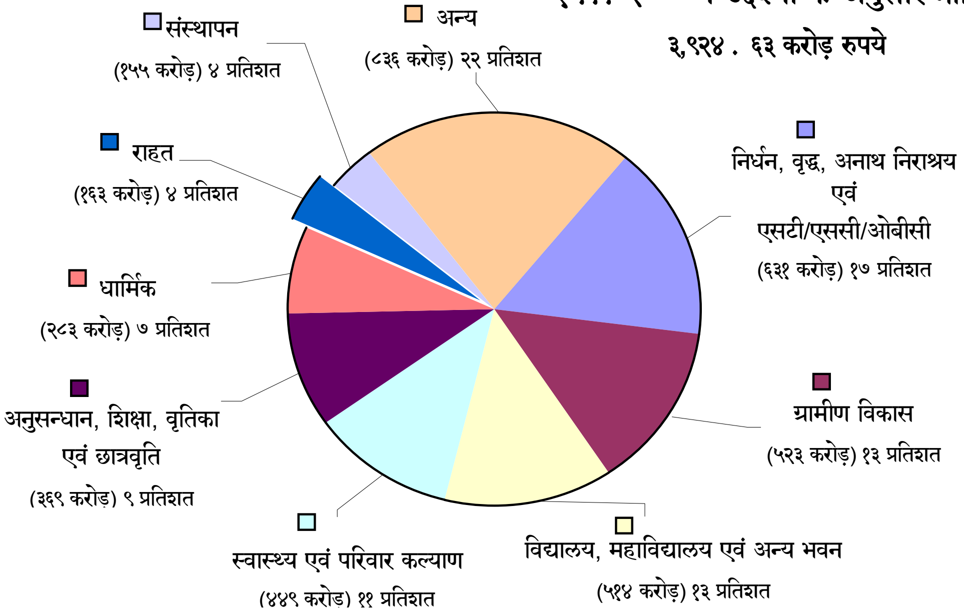

२५ शीर्ष दातव्य संस्थाएँ

विअविअ[३] विवरण में २५ बड़ी दातव्य संस्थाओं की भी सूची दी गई है। इन दातव्य संस्थाओं का संयुक्त अभिदाय ९५४. ८ करोड़ रुपये या कुल अन्तः प्रवाह का २४ प्रतिशत है।

इन आँकड़ों में द्विदेशीय अभिदाय (विदेशी शासन से भारतीय शासन को) या संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त अभिदाय सम्मिलित नहीं है।

	संस्था	देश	करोड़ रुपये
१.	फॉस्टर पेरेण्टस् प्लान इण्टरनेशनल	संयुक्त राज्य अमेरिका	७० . ७६
२.	महर्षि आयुर्वेद ट्रस्ट	युनाइटेड किङ्गडम	६० . ०६
३.	एक्शनएड	युनाइटेड किङ्गडम	५८ . ८१
४.	वर्ल्ड विज़न इण्टरनेशनल	संयुक्त राज्य अमेरिका	५१ . ९३
५.	मानोस युनिडास	स्पेन	४९ . ५४
६.	ई जेड ई	जर्मनी	४९ . ५०
७.	फोर्ड फाउण्डेशन	संयुक्त राज्य अमेरिका	४८ . १२
८.	फाउण्डेशन विन्सेण्ट फैरर	स्पेन	४५ . ५४
९.	क्रिश्चियन चिल्ड्रन्स फण्ड	संयुक्त राज्य अमेरिका	४४ . ३०
१०.	किण्डर नॉट हिल्फी	जर्मनी	४३ . ७६
११.	ऑक्सफैम (इण्डिया) ट्रस्ट	युनाइटेड किङ्गडम	३९ . १७
१२.	महर्षि एजुकेशन फाउण्डेशन	युनाइटेड किङ्गडम	३८ . २२
१३.	क्रिश्चियन एड	युनाइटेड किङ्गडम	३५ . ४१
१४.	मिस्सिओ	जर्मनी	३५ . १४
१५.	मिज़िरियोर	जर्मनी	३४ . ३१
१६.	गॉसपेल फॉर एशिया	संयुक्त राज्य अमेरिका	३२ . ६२
१७.	इण्टर चर्च कोआर्डिनेशन कमेटी	नीदरलैण्ड	२९ . ३६
१८.	द लेप्रसी मिशन	युनाइटेड किङ्गडम	२८ . २८
१९.	एज ऑफ एन्लाइटनमेण्ट ट्रस्ट	युनाइटेड किङ्गडम	२६ . ४६
२०.	प्लान इण्टरनेशनल	युनाइटेड किङ्गडम	२६ . २९
२१.	एस ओ एस किन्डरडोर्फ इण्टरनेशनल	आस्ट्रिया	२३ . ५५
२२.	जेड ई एच	जर्मनी	२१ . १२
२३.	लूथरन वर्ल्ड फेडरेशन	स्विट्ज़रलैण्ड्	२१ . ०६
२४.	बिलान्स	नीदरलैण्ड	२० . ९३
२५.	हिवोस फाउण्डेशन	नीदरलैण्ड	२० . ५७

[२] इसमें भारत में उदग्रहित किये गये दान सम्मिलित नहीं है। यहाँ इसका कोई ठीक आँकड़ा भी उपलब्ध नहीं है, परन्तु यह लगभग १५, ००० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक हो सकता है।

[३] विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम

२५ शीर्ष दान ग्रहीता संस्थाएँ

इस धन को कौन प्राप्त करता है? लगभग १४,००० संस्थाओं की एक लम्बी सूची है जिन्होंने इस अभिदाय को प्राप्त किया है। परन्तु, यहाँ केवल २५ शीर्ष दान ग्रहिताओं का नाम दिया जा रहा है।

इस सूची में जनसेवी संस्थाएँ तथा दातव्य संस्थाएँ दोनों हैं। विअविअ विभाग इन दोनों में कोई भेद नहीं करता है। संयुक्त रूप से इन २५ संस्थाओं ने ८६० करोड़ रुपये प्राप्त किये। यह कुल अन्तः प्रवाह का २२ प्रतिशत है। इसमें से २६ प्रतिशत (२२६ करोड़) दातव्य संस्थाओं ने प्राप्त किया। इन्हें सारणी में अलग से नीचे दिखाया गया है।

संस्था	राज्य	करोड़ रुपये
१. महर्षि वेद विज्ञान विश्व विद्या पीठं	आन्ध्र प्रदेश	६८
२. वर्ल्ड विज़न	तमिलनाडू	५५
३. माता अमृतानन्दमयी मिशन	केरल	५३
४. श्री सत्य साँई सेण्ट्रल ट्रस्ट	आन्ध्र प्रदेश	५०
५. रूरल डैवलपमेण्ट ट्रस्ट	कर्नाटक	४५
६. सेवन्थ डे एडवेण्टिस्ट	तमिलनाडू	३३
७. एस आर एम फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया	दिल्ली	३३
८. एस ओ एस चिल्ड्रन्स् विलेज	दिल्ली	३२
९. गॉस्पेल फॉर एशिया	केरल	३२
१०. द चर्च कौंसिल फॉर चाइल्ड एण्ड यूथ केअर	कर्नाटक	२९
११. बोचासनवासी अक्षरधाम पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था	महाराष्ट्र	२८
१२. तिब्बतन चिल्ड्रन्स् विलेज	हिमाचल प्रदेश	२६
१३. लेप्रसी मिशन ट्रस्ट	दिल्ली	२६
१४. महर्षि गंधर्व वेद विश्व विद्या पीठं	उत्तर प्रदेश	२४
१५. मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी	पश्चिम बङ्गाल	२०
१६. इण्डिया कैम्पस क्रुसेड फॉर क्राइस्ट	कर्नाटक	२०
१७. मयराडा	कर्नाटक	१९
१८. दलाईलामा सेन्ट्रल तिब्बतियन रिलीफ कमेटी	हिमाचल प्रदेश	१९
१९. लूथरन वर्ल्ड सर्विस	पश्चिम बङ्गाल	१९
दातव्य संस्थाएँ		
१. फॉस्टर पेरेण्टस् प्लान इण्टरनेशनल	दिल्ली	६४
२. एक्शनएड	कर्नाटक	३९
३. ऑक्सफैम (इण्डिया) ट्रस्ट	दिल्ली	३५
४. चर्च आक्सिलियरी फॉर सोशल एक्शन (कासा)	दिल्ली	३४
५. कैरिटास इण्डिया	दिल्ली	३२
६. इन्डो-जर्मन सोशल सर्विस सोसायटी	दिल्ली	२३

राज्यवार प्राप्तियाँ

वर्ष १९९९-२००० में सत्रह[४] राज्यों ने ३,८५३.३५ करोड़ या कुल अन्तः प्रवाह का ९८.२ प्रतिशत प्राप्त किया। शेष १.८ प्रतिशत बाकी ९ राज्यों तथा ५ केन्द्र शासित प्रदेशों[५] की ५९४ संस्थाओं को गया।

	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	करोड़	प्रतिशत
१	दिल्ली	६३६.११	१६.२
२	तमिलनाडू	५७२.५१	१४.६
३	आन्ध्र प्रदेश	५३६.९९	१३.७
४	कर्नाटक	४११.३४	१०.५
५	केरल	३६१.७०	९.२
६	महाराष्ट्र	३५०.२३	८.९
७	पश्चिम बङ्गाल	२३३.९९	६.०
८	उत्तर प्रदेश	१२८.१०	३.३
९	गुजरात	१२६.९५	३.२

	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	करोड़	प्रतिशत
१०	उड़ीसा	१११.६५	२.८
११	बिहार	१०४.७५	२.७
१२	मध्य प्रदेश	८४.५७	२.२
१३	हिमाचल प्रदेश	६८.२०	१.७
१४	राजस्थान	३७.२६	०.९
१५	पञ्जाब	३५.२२	०.९
१६	मेघालय	२९.४४	०.८
१७	असम	२४.३५	०.६
१८	अन्य	७१.२७	१.८

[४] इन आँकड़ों में नव-गठित राज्यों (छत्तीसगढ़, उत्तराञ्चल तथा झारखण्ड) को अलग से नहीं दिखाया गया है।

[५] लक्षद्वीप में विअविअ के अन्तर्गत कोई जनसेवी संस्था पञ्जीकृत नहीं है।

१ करोड़ से अधिक

लगभग ६८४ (४ . ९ प्रतिशत) संस्थाओं ने १९९९-२००० में प्रति संस्था १ करोड़ से अधिक का अभिदाय प्राप्त किया है। अन्य १३,३०२ (९५ . १ प्रतिशत) संस्थाओं ने प्रति संस्था १ करोड़ रुपये से कम का अभिदाय प्राप्त किया है।

१ करोड़ रु० से अधिक प्राप्त करने वाली संस्थाएँ

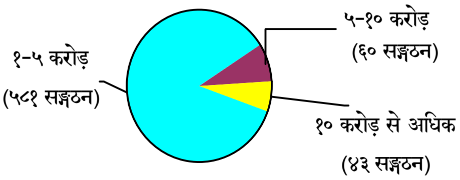

जनजातीय प्रधान क्षेत्रों को क्या मिलता है?

प्रतिवेदन सूची में छः राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रधानतः जनजातीय कहा गया है। इन राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा कितना अभिदाय प्राप्त किया जाता है ? सारणी यह दर्शाती है कि ये राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश विदेशी अभिदाय का लगभग ० . ९८ प्रतिशत ही प्राप्त कर पाते हैं।

ऐसा कई कारणों से होता है :

राज्य		१९९९-२०००	प्रतिशत
१	अरुणाचल प्रदेश	० . ६४	० .०२
२	दादर एवं नागर हवेली	० . २६	० . ०१
३	लक्षद्वीप	०० . ००	० . ००
४	मेघालय	२९ . ४४	० .७५
५	मिजोरम	० . ५१	० . ० १
६	नागालैण्ड	७ . ५९	० . १९
जनजातीय राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश		३८ . ४४	० . ९८
अन्य राज्य		३,८८६ . १९	९९ . ०२
	योग	३,९२४ . ६३	१०० . ००

- इन राज्यों में, संस्थाओं की अपेक्षाकृत कम अवशोषक क्षमता तथा इसके साथ ही संस्थाओं का कम होना - इन राज्यों में विअविअ पञ्जीकृत संस्थाओं की कुल संख्या ३२० है। यह भारत में विअविअ के अन्तर्गत पञ्जीकृत कुल संस्थाओं का १ . १९ प्रतिशत है।
- विअविअ निधि का एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन का दोषपूर्ण पथन तथा विश्लेषण।

इस अङ्क में दिया गया विश्लेषण, गृह मन्त्रालय द्वारा बनाए गये "विदेशी अभिदाय का अन्तःप्रवाह प्रतिवेदन १९९९-२०००" के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रतिवेदन में विदेशी अभिदाय के बहुत से मुल्यवान आँकड़े जुटाए गए हैं। इसके लिए, इस जानकारी को सीमित संसाधनों द्वारा कठिन परिश्रम करके संग्रहित करने के लिए, हम विअविअ विभाग का साधुवाद करतें हैं।

प्रस्तुत विश्लेषण की कुछ सीमाएँ हैं। यदि इसे सावधानी से न पढ़ा जाए, तो दोषपुर्ण निर्वचन हो सकता है। अतः आप से निवेदन है कि प्रत्येक सारणी के साथ दी गई टिप्पणी को अवश्य पढ़ें।

- ❑ माल (वस्तु) के रूप में विदेशी अभिदाय का कभी-कभी मुल्याङ्कन नहीं होता या उनकी सूचना सम्बधित जनसेवी संस्था द्वारा नहीं दी जाती। फलतः आँकड़ें तथा विश्लेषण उसी के अनुसार बिगड़ेंगे।
- ❑ इस आँकड़े में शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या आर्थिक कार्यक्रमों के लिए प्राप्त धन सम्मिलित है। यह धन किसी 'समाज-परिवर्तन संस्था' विकास संस्था, धार्मिक निकाय, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय तथा सरकार द्वारा स्थापित जनसेवी सस्था द्वारा प्राप्त किया गया हो सकता है। किसी विशेष वर्गीकरण के अभाव में तथा पढ़ने की सुविधा के लिए हमने सबके लिए जनसेवी संस्था शब्द का प्रयोग किया है।
- ❑ विअविअ विभाग ने जनसेवी संस्थाओं तथा अभिदाय देने वाली दातव्य संस्थाओं के बीच कोई भेद नहीं किया है। हमने उन संस्थाओं के लिए, जो मुख्यतः अन्य संस्थाओं को दान देती है "दातव्य संस्था" शब्द का प्रयोग किया है।
- ❑ एक करोड़ = १०,०००,००० । वर्तमान में भारतीय एक करोड़ रुपये २२७,००० अमेरिकी डालर के बराबर हैं। एक लाख = १००,०००

लेखा·योग क्या है - 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग १७०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग - This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप - लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त हो सकेगा।

लेखा·योग सम्पुटिका - जनसेवी संस्थाओं के लेखा तथा इससे सम्बन्धित छोटी-छोटी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया इस पते पर ई-प्रेष करें।

accountaid-subscribe@topica.com.

विधि-व्याख्या - यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

पत्राचार - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-ए, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष - ०११-२६३४ ३१२८, २६३४ ६१११; प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ३८५२; ई-प्रेष accountaid@vsnl.com.

© AccountAid™ India राष्ट्रीय शक संवत् वैशाख १९२६; मई २००४ ईस्वी